

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा,, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/85-92 दि. 1 §§§ दिनांक 20.10.93

विवेकानन्द इन्टरनेशनल हाई स्कूल सेक्टर 8 फरीदाबाद की दिनांक

1.4.93 से छठीं से दसवी कक्षा तक की स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने ही साधनों से चलायेगे और ग्रांट की मांग नहीं करेगे ।
2. यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक शिक्षा कोड की धारा 214 की शर्तों का उल्लंघन कर रहे है तो मान्यता वापिस ले ली जायेगी ।

§ जय भाग §
संयुक्त निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा

सू क्र. -- तम दिनांक चण्डीगढ़ 28-10-93

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

भेजी जाती है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
3. चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
4. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा ।
5. अधीक्षक एन एफ सी शाखा § स्थानीय § ।
6. आंकड़ा अधिकारी § स्थानीय § ।

7. मैनेजर विवेकानन्द इन्टरनेशनल हाई स्कूल § फरीदाबाद ।

मुख्य लेखा अधिकारी §
संयुक्त निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

